न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी जिला करौली

मुकदमा नं0 :—07 / 2024 तारीख रजू :— 01.02.2024

पीठासीन अधिकारी — हेमराज गुर्जर R.A.S.

गोविन्द बनाम गजानंद वगैराह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थितः—1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट प्रार्थी / गैरसायलान

2. श्री पी.एल. गोयल एडवोकेट अप्रार्थी / सायलान

निर्णय दिंनाक :— 9-6-2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी / गैरसायल सं01 ने दिनांक 01.05.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि खसरा न0 1127 रकबा 23 ऐयर स्थित कस्बा हिण्डौन की खातेदारी वर्तमान में अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी की उक्त भूमि में होकर ही सायल द्वारा रास्ते की मांग जरिये प्रार्थना पत्र की जा रही है, जबकि उक्त प्रकरणमें न्यायालय के आदेश से तहसीलदार हिण्डौन द्वारा मौके पर जाकर जांच रिपोर्ट तैयार करवायी गयी है, और उक्त जांच रिपोर्ट तैयार करवायी गयी है, और उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ही उक्त प्रकरण से जबाबी मान तहसीलदार द्वारा पेश किया गया है। जिसमें स्वयं तहसीलदार द्वारा खसरा न0 1127 में मकान, दुकान एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण होना स्वीकार किया है ऐसी परिस्थितियों में अप्रार्थी की आबादी भूमि में होकर सायल को रास्ता दिया जाना किन्ही भी परिस्थितियों में संभव नहीं है। साथ ही आबादी की भूमि बाबत सुनवाई का अधिकार भी सिविल न्यायालय को प्राप्त है, ना कि रेवन्यु कोर्ट को।

प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि सायल का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑडर 7 रूल 11 सीपीसी रिजेक्ट फरमाने की कृपा करे।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 [illegible] वकील प्रार्थी / गैरसायल सं01 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित [illegible] और प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा व प्रार्थना [illegible] अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत रिजेक्ट कर खारिज फरमाया [illegible]ने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.15 09:44:30 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत वकील अप्रार्थी / सायल ने दौराने बहस अवगत कराया है कि अप्रार्थी / सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अस्वीकार करते हुए प्रार्थी/गैरसायल द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया है।

प्रार्थनापत्र ऑडर 7 नियम 11 सी.पी.सी के नियम निम्न प्रकार से है।

वादपत्र का नामंजूर किया जाना–वादपत्र निम्नलिखित दशाओ में नामंजूर कर दिया जाएगा–

(क) जहॉ वह वादहेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन का ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा आपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने मे असफल रहता है।

(घ) जाहॅ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। (परन्तु मूल्यांकन की शुद्वि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नही बढाया जायेगा जब तक कि न्यायाल का अभिलिखित किये जाने वाले करणों से यह समाधान नही हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर यथास्थिति मूल्यांकन की शुद्वि करने या अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढाने से इनकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा।)

धारा 11 सी.पी.सी के नियम निम्न प्रकार से है।

पूर्वन्यायः– कोई भी न्याया[illegible] किसी ऐसे [illegible]धक का विचारण नही करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सा[illegible] के अधीन मुकदमा करने वाले उन्ही पक्षकारो के बीच [illegible]के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमे से कोई दावा कर[illegible] है किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे प्श्चात्वर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाधक वाद मे उठाया गया है विचारण करने के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.15 09:44:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात के खसरा न0 1127 रकबा 23 ऐयर वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन से आराजी खसरा न0 1126 में आवागमन हेतु रास्ता लेने का अनुतोष अप्रार्थीगण/सायल द्वारा चाहा गया है जबकि उक्त खसरा न0 के लिये पूर्व में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता है।

तहसीलदार हिण्डौन की रिपोर्ट अनुसार खसरा न0 1127 में मकान दुकान का निर्माण है अर्थात आबादी बसी हुयी है इसमें रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। अप्रार्थी/सायल द्वारा खसरा न0 1126 की 90 ए नगरपरिषद हिण्डौन में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रखा है जिसमें पहुच मार्ग हेतु पीछे से 20 फिट का रास्ता बना हुआ है।

आबादी से होकर निकलने वाले रास्तो के विवाद से सम्बन्धित सभी प्रकार के मुकदमों को सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र कानूनन रेसज्यूडीकेटा की परिधि मे आने से प्रार्थना पत्र हाजा वार्ड वाई लॉ व रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त से वाधित होने के कारण सुनवाई किये जाने योग्य नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/गैरसायल खिलाफ सायल /अप्रार्थीगण आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाता है तथा मूल प्रार्थना पत्र मु0 नं0 07/2024 उनवानी गोविन्द बनाम गजानंद बगै0 प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क को इसी स्टेज पर रिजेक्ट किया जाता है। एवं उक्त प्रार्थना पत्र के साथ जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 02.07.2024को विड्रो किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.15 09:44:30 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 9/6/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली